रजिस्ट्री सं० डी०-(डी०)—73 REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1979 (पौष 30, 1900)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1979 (PAUSA 30, 1900)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	17
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	65
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	51
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खण्ड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . .	173
भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	165
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	23
भाग III—खण्ड 1—महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	395
भाग III—खण्ड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	31
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	7
भाग III—खण्ड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	623
भाग IV—गैर सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस .	7

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	17
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	65
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders, and Resolutions issued by the Ministry of Defence	3
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	51
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	-
PART. II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories ..	173
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	165
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	23
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	395
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	31
PART III—SECTION 3.—Notifications Issued by or under the authority of Chief Commissioners	7
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	623
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	7

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 1978

सं० एफ० 23011/2/78-प्रशा०-I—भारत सरकार ने नियन्त्रण और राजसहायता समिति की अवधि को 15 फरवरी, 1979 तक बढ़ाने का निर्णय किया है। इस समिति का गठन वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग के 15 फरवरी, 1978 के संकल्प सं० एफ० 23011/2/78-प्रशा० 1 के द्वारा किया गया था।

ना० नटराजन, अवर सचिव

इस्पात और खान मंत्रालय

नियमावली

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1979

नई दिल्ली दिनांक 20 जनवरी 1979 सं० क-12025/7/78-एम II निम्नलिखित रिक्त पदों को भरने के लिए 1979 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा की नियमावली कृषि और सिंचाई मंत्रालय की सहमति से सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है :—

वर्ग-1 (भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, इस्पात और खान मंत्रालय के पद)

(1) भूविज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप-क और

(2) सहायक भूविज्ञानी ग्रुप-ख

वर्ग-2 (केंद्रीय भू-जल बोर्ड, कृषि और सिंचाई मंत्रालय के पद)

(1) कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी ग्रुप-क

(2) सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप-ख

1. उम्मीदवार उपर्युक्त पद-वर्गों में से किसी एक या दोनों के लिए प्रतियोगी हो सकता है। उसे अपने आवेदन पत्र में उन पदों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना चाहिए जिनके लिए वह वरीयता-क्रम में विचार किए जाने का इच्छुक है।

जिन पद वर्ग/वर्गों के लिए उम्मीदवार परीक्षा में बैठ रहा है उनके सम्बन्ध में उम्मीदवार द्वारा निर्दिष्ट वरीयताओं के परिवर्तन संबंधी किसी अनुरोध पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि इस प्रकार के परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित किए जाने की तारीख के 30 दिन के अन्दर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में प्राप्त न हो जाए।

2. उक्त परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्तियां शुरू में अस्थायी रूप में की जाएंगी। जैसे ही स्थायी रिक्तियां होंगी उम्मीदवार अपनी बारी में स्थायी रूप में नियुक्त कर दिए जाएंगे।

3. इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के लिये रिक्तियों के आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित रूप में किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का अर्थ संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश 1950 संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951; [अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956; अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959, संविधान (दादरा व नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962; संविधान (दादरा व नागर हवेली) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962; संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश 1964, संविधान (अनुसूचित जातियां) (उत्तर-प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोआ, दमन तथा दियु) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968; संविधान (गोआ, दमन तथा दियु) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1968; और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970, में उल्लिखित जातियों/जन जातियों में से कोई एक है।

4. आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निर्धारित रीति से आयोजित की जाएगी।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा।

5. कोई उम्मीदवार या तो :—

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) नेपाल की प्रजा हो, या

(ग) भूटान की प्रजा हो, या

(घ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो, या

(ङ) भारत में स्थायी निवास के इरादे से पाकिस्तान, बर्मा, श्री लंका, कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य टंजानिया के पूर्वी अफ्रीकी देशों या जाम्बिया, मलावी, जेरे, इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हुआ मूलतः भारतीय व्यक्ति हो।

किन्तु शर्त यह है कि उपर्युक्त वर्ग (ख), (ग), (घ) और (ङ) से सम्बद्ध उम्मीदवार को सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया हो।

जिस उम्मीदवार के मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, उसे परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है; किन्तु उसे नियुक्ति प्रस्ताव केवल तभी दिया जा सकता है जब भारत सरकार द्वारा उसे आवश्यक पात्रता प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया हो।

6. (क) इस परीक्षा के उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1979 को 21 वर्ष हो चुकी हो किन्तु 30 वर्ष पूरी न हुई हो अर्थात उसका जन्म 2 जनवरी 1949 से पहले और 1 जनवरी 1958 के बाद न हुआ हो।

(ख) यदि निम्नलिखित वर्गों के सरकारी कर्मचारी नीचे के कालम 1 में उल्लिखित किसी विभाग में नियोजित है और यदि वे कालम 2 में उल्लिखित समरूपी पद (पदों) हेतु आवेदन करते हैं तो उनके मामले में ऊपरी आयु सीमा में 7 वर्ष की छूट दी जाएगी।

कालम 1	कालम 2
भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण	भूविज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क सहायक भूविज्ञानी, ग्रुप ख
केन्द्रीय भू-जल बोर्ड	कनिष्ठ जल भूविज्ञानी ग्रुप क सहायक जल-भूविज्ञानी ग्रुप ख

(ग) निम्नलिखित स्थितियों में ऊपर निर्धारित ऊपरी आयु सीमा मे और छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष तक;

(2) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक;

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का है और भूतपूर्व पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है तथा 1 जनवरी, 1964 से 25 मार्च 1971 के बीच की अवधि के दौरान प्रत्यावर्तित होकर भारत आ गया था, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक;

(4) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(5) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्री लंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित हुआ या होकर आया या आने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(6) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया उगांडा और तंजानियां संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो या जांबिया, मलावी, जेरे और इथियोपिया से प्रत्यावर्तित हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(7) यदि उम्मीदवार वर्मा से 1 जून, 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(8) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का हो और बर्मा से 1 जून 1963 को या उसके बाद वस्तुतः प्रत्यावर्तित होकर आया भारत मूलक व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(9) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के कार्मिकों के मामले मे अधिक से अधिक 3 वर्ष;

(10) शत्रु देश के साथ संघर्ष में या अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए रक्षा सेवा के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(11) 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष; और

(12) 1971 के भारत पाकिस्तान संघर्ष में विकलांग हुए तथा इसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए सीमा सुरक्षा दल के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के कार्मिकों के मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष;

(13) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पार पत्र हो) है और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकाल का प्रमाण-पत्र है और जो वियतनाम से जुलाई 1975 से पहले भारत नहीं आया है तो उसके लिये अधिक से अधिक तीन वर्ष;

(14) ऐसा उम्मीदवार जो निर्णायक तारीख अर्थात् पहली जनवरी, 1979 को निर्धारित ऊपरी आयुसीमा से अधिक आयु का हो जाता है और जो आंतरिक सुरक्षा अनुरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया था या 25-6-75 तथा 21-3-77 के बीच की आंतरिक आपात स्थिति की अवधि के दौरान अभिकथित राजनैतिक कार्य-कलापों या तत्कालीन प्रतिबंधित संगठनों से सम्बन्धित होने के कारण भारत रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 या उसके अन्तर्गत बने नियमों के अधीन गिरफ्तार या कैद हुआ था और इस प्रकार उक्त परीक्षा मे प्रवेश हेतु निर्धारित आयु सीमा के अन्दर होते हुए भी परीक्षा में उपस्थित होने से रोक दिया गया था इस शर्त पर परीक्षा में बैठने का पात्र होगा कि जून, 1975 और मार्च, 1977 के बीच की अवधि के दौरान वह परीक्षा में कम से कम एक बार भी नहीं बैठ पाया हो अर्थात (उसने परीक्षा छोड़ दी हो) जिसके लिए वह हर प्रकार से पात्र था।

टिप्पणी :—इस रियायत के अंतर्गत जो कि 31-12-1979 के बाद होने वाली किसी भी परीक्षा में प्रवेश के लिए ग्राह्य नहीं होगी कि एक से अधिक अवसर नही दिया जाएगा।

उपर दी गई व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

ध्यान दें :—

(1) जिस उम्मीदवार को नियम 6(ख) के अधीन परीक्षा में प्रवेश दे दिया गया हो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी यदि आवेदन पत्र भेजने के बाद वह परीक्षा से पहले या परीक्षा देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या विभाग कार्यालय द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं। किन्तु आवेदन पत्र भेजने के बाद यदि उसकी सेवा या पद से छटनी हो जाती है तो वह पात्र बना रहेगा।

(2) जो उम्मीदवार विभाग को अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर देने के बाद किसी अन्य विभाग/कार्यालय को स्थानांतरित हो जाता है वह उस पद (पदों) हेतु विभागीय आयु संबंधी रियायत लेकर प्रतियोगिता मे सम्मिलित होने का का पात्र रहेगा जिसका पात्र वह स्थानांतरण न होने पर, रहता, बशर्ते कि उसका आवेदन पत्र विधिवत अनुशंसा सहित उसके मूल विभाग द्वारा अग्रेषित कर दिया गया हो।

7. उम्मीदवार :—

(क) के पास भारत के केन्द्र या राज्य विधान मंडल के अधि-नियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान

आयोग, अधिनियम 1956 की धारा 3 के अधीन विश्व-विद्यालय के रूप में मान्य घोषित किसी अन्य शिक्षा संस्थान से भूविज्ञान या प्रयुक्त भूविज्ञान में 'मास्टर' डिग्री अवश्य होनी चाहिए; या

(ख) भारतीय खान विद्यालय, धनबाद से प्रयुक्त भू-विज्ञान में एसोसिएटशिप का डिप्लोमा।

नोट 1:—यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा में बैठ चुका हो जिसे उत्तीर्ण कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है पर अभी उसे परीक्षा के परिणाम की सूचना न मिली हो तो वह भी इस परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए आवेदन कर सकता है जो उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता हो वह भी आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को, यदि वे अन्यथा पात्र होंगे तो परीक्षा में बैठने दिया जाएगा। परन्तु परीक्षा में बैठने की यह अनुमति अंतिम मानी जाएगी और यदि वे अर्हक परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में 29 सितम्बर, 1979 तक प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द की जा सकती है

नोट 2:—विशेष परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग ऐसे किसी किसी उम्मीदवार को भी शैक्षिक दृष्टि से योग्य मान सकता है जिसके पास इस नियम में विहित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो, बशर्ते कि उम्मीदवार ने किसी संस्था द्वारा ली गई कोई ऐसी परीक्षा पास कर ली हो जिसका स्तर आयोग के मतानुसार ऐसा हो कि उसके आधार पर उम्मीदवार का परीक्षा में प्रवेश उचित ठहर सके।

नोट 3:—जिस उम्मीदवार ने अन्यथा अर्हता प्राप्त कर ली है, किन्तु उसके पास विदेशी विश्वविद्यालय की डिग्री है, तो वह भी आयोग को आवेदन कर सकता है और उसे आयोग की विवक्षा पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है।

8. उम्मीदवारों को आयोग के नोटिस के पैरा 6 में निर्धारित शुल्क का भुगतान अवश्य करना चाहिए।

9. जो उम्मीदवार सरकारी नौकरी में स्थायी या अस्थायी रूप से काम कर रहे हों चाहे वे किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त भी क्यों न हों, पर आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त न हुए हों, उन सब को अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष की ओर से आयोग के नोटिस के अनुबंध के पैरा 2 में दिए गए अनुदेशों के अनुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा।

10. उक्त परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण-पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो।

12. जिस उम्मीदवार ने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छदम रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रलेख या ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए है जिनमे तथ्यों में फेर बदल किया गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में उम्मीदवारी के सम्बन्ध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, अथवा

(8) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखी हों तो जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हों, अथवा

(9) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो, अथवा

(10) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, अथवा

(11) पूर्वोक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयास किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन से

(2) केंद्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

13. जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा विवक्षा पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा :

परन्तु यदि आयोग के मतानुसार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों के भरने के लिए इन जातियों के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में व्यक्तित्व परीक्षण के लिए साक्षात्कार हेतु नहीं बुलाए जा सकते हैं तो आयोग उनको स्तर में छूट देकर व्यक्तित्व परीक्षण हेतु साक्षात्कार के लिए बुला सकता है।

14. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल प्राप्तांकों के आधार पर उनके योग्यता क्रम के अनुसार उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी अनारक्षित खाली जगहों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों को योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्त करने के लिए अनुशंसा की जाएगी जो आयोग द्वारा परीक्षा में योग्य पाए गए हों।

परन्तु यदि सामान्य स्तर से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या तक अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवार नहीं भरे जा सकते हों, तो आरक्षित कोटा में कमी पूरी करने के लिए आयोग द्वारा स्तर में छूट देकर, चाहे परीक्षा के योग्यता क्रम में उनका कोई भी स्थान हो, नियुक्ति के लिए अनुशंसित किए जा सकेंगे, बशर्ते कि ये उम्मीदवार इन सेवाओं पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त हों।

15. प्रत्येक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा और आयोग उनसे परीक्षाफल के बारे में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

16. परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में विभिन्न पदों के लिए बताए गए वरीयता क्रम पर आयोग द्वारा उचित ध्यान दिया जाएगा।

17. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता, इसके लिए आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जांच करके इस बात से संतुष्ट हो जाए कि उम्मीदवार चरित्र तथा पूर्ववृत्त की दृष्टि से इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है।

18. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो। यदि विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद जो यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन शर्तों को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। जिन उम्मीदवारों के नियुक्त किए जाने की संभावना है केवल उन्हीं की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी। डाक्टरी परीक्षा के समय उम्मीदवार शुल्क के रूप में रु० 16.00 का भुगतान मेडिकल बोर्ड को करेंगे।

नोट :—निराशा से बचने के लिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी डाक्टरी परीक्षा करा लें। उम्मीदवारों को नियुक्ति से पहले जिन डाक्टरी परीक्षणों से गुजरना होगा उनके स्वरूप के विवरण और मानक परिशिष्ट 2 में दिए गए हैं। 1971 के भारत पाक संघर्ष के दौरान विकलांग हुए और परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों और सीमा सुरक्षा दल में कार्य करते हुए विकलांग हुए व्यक्तियों को पद विशेष की अपेक्षाओं के अनुसार स्तर में छूट दी जाएगी।

19. जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है जिसका जीवित पति/पत्नि पहले से है या

(ख) जीवित पति/पत्नि के रहते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अनुसार स्वीकार्य है और ऐसा करने के अन्य कारण भी है तो वह किसी भी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

20. इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों के सम्बन्ध में भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 3 में दिया गया है।

जे० ए० चौधरी, उप सचिव

परिशिष्ट I

1. परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार आयोजित की जाएगी :—

भाग-1—नीचे पैरा 2 में दिए गए विषयों में लिखित परीक्षा।

भाग 2—आयोग द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले उम्मीदवारों का व्यक्तित्व परीक्षण जो अधिकतम 200 अंकों (देखिए नीचे पैरा 7) का है।

2. लिखित परीक्षा निम्न विषयों में ली जाएगी।

विषय	समय	पूर्णांक
	घंटे	
(1) सामान्य अंग्रेजी	1-1/2	100
(2) भूविज्ञान प्रश्न पत्र-I जिसमें सामान्य भूविज्ञान भू-आकृति विज्ञान, संरचनात्मक भू-विज्ञान, स्तर-क्रमविज्ञान और जीवाश्मविज्ञान होंगे	3	200
(3) भू-विज्ञान प्रश्न पत्र-2 जिसमें क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान और भू-रसायन विज्ञान, होंगे।	3	200
(4) भू-विज्ञान प्रश्न पत्र 3 जिसमें भारतीय खनिज निक्षेप, खनिज अन्वेषण, खनिज अर्थशास्त्र और आर्थिक भू-विज्ञान होंगे।	2	150
(5) जल भू-विज्ञान	2	150

नोट :—वर्ग 1 और वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त सभी विषय लेने होंगे केवल वर्ग 1 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को उपर्युक्त (1) से (4) तक के विषय लेने होंगे और केवल वर्ग 2 के अन्तर्गत पदों के लिए प्रतियोगी उम्मीदवारों को (1) से (3) तक विषय लेने होंगे।

3. सभी विषयों की परीक्षा पूर्णत: 'वस्तु परक' (बहु विकल्प उत्तर) प्रकार की होगी। नमूने के प्रश्नों सहित विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 4 पर उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका देखिए।

4. परीक्षा का स्तर और पाठ्यचर्या संलग्न अनुसूची के अनुसार होंगे।

5. उम्मीदवारों को उत्तर अपने ही हाथ से लिखने चाहिए। उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी लिखने वाले की सहायता की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के लिए अर्हक अंक निश्चित कर सकता है।

7. व्यक्तित्व परीक्षण करते समय उम्मीदवार की नेतृत्व क्षमता, पहल तथा मेधाशक्ति, व्यवहारकुशलता तथा अन्य सामाजिक गुण, मानसिक तथा शारीरिक ऊर्जस्विता, प्रायोगिक अनुप्रयोग की शक्ति और चारित्रिक निष्ठा के निर्धारण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

8. केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

अनुसूची

स्तर और पाठ्यचर्या

अंग्रेजी के प्रश्न पत्र का स्तर ऐसा होगा जिसकी अपेक्षा विज्ञान स्नातक से की जाती है। भूवैज्ञानिक विषय भारतीय विश्वविद्यालय की एम० एस० सी० डिग्री स्तर के होंगे और सामान्यत: प्रत्येक विषय में ऐसे प्रश्न रखे जाएंगे जिनसे उम्मीदवारों की विषय की समझ का पता लग सके।

किसी भी विषय की प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

(1) सामान्य अंग्रेजी :

अंग्रेजी भाषा की समझ और अभिव्यक्ति करने की शक्ति की जांच करने के प्रश्न दिए जाएंगे।

(2) भूविज्ञान प्रश्न-पत्र-1

क—सामान्य भूविज्ञान—भू उद्गम

महाद्वीप और महासागर—उनका विभाजन, विकास और उद्गम महाद्वीपीय विस्थापन, महासागर विस्तारण और प्लेट विवर्तनिकी की संकल्पना। पुराजलवायु और उनकी विशेषता। समस्थिति। पुराचुंबकत्व। विघटनात्मिकता और उसका भूविज्ञान में अनुप्रयोग। भूकालानुक्रम और भूकाल। भूकम्पविज्ञान और भूगर्भ। भूअभिनति। ज्वालामुखीयता। द्वीप चाप, गंभीर, सागर खाईयां और मध्य महासागरीय कटक। कोरल रीफ। पर्वतन और महादेश रचना। पर्वतनी चक्र।

ख—भू आकृतिविज्ञान—भूआकृतिक प्रक्रम; लक्षण और उनके प्राचल। भू-आकृतिक चक्र और उनका अर्थ-निर्वचन। स्थलाकृति और संरचनाओं से इसका संबंध। मृदा।

ग—संरचनात्मक भूविज्ञान—चट्टानों के भौतिकगुण। विरूपण। भ्रंशन और वलन—उनकी यांत्रिकी। प्राथमिक संरचना। संरेखण, शल्कन और जोड़। विमल अल्पवेधी और लक्षण गुम्बद संस्तरों के शीर्ष तथा तल की पहचान। विषम विन्यास। पटल विरूपण। शैल सविन्यासी विश्लेषण।

घ—स्तरिकी—स्तरीकी के सिद्धांत तथा नामपद्धति। विश्व स्तरिकी तथा पुराभूगोल की रूपरेखाएं। भूविज्ञान की विभिन्न प्रणालियों के प्रमुख अनुमान। गोंडवाना प्रणाली तथा गोंडवाना महाखंड।

भारतीय उपमहाद्वीप (भारत पाकिस्तान तथा बंगलादेश) की स्तरिकी तथा पुराभूगोल प्रमुख भारतीय शैलसमूह में सहसंबंध। भारतीय स्तरिकी में काल विषयक समस्याएं।

ङ—पुराभूगोल (क) जीवाश्म, उनके प्रकार, संरक्षण पद्धति तथा प्रयोग। अकशेरुकियों का आकृति विज्ञान, वर्गीकरण तथा भूविज्ञान संबंधी इतिहास; प्रवाल, भुजपाद, पटल क्लोम, ऐमोनाइटीज, जठरपाद, ट्राइलोबाइटीज शूलचर्मी ग्रेप्टोलाइट्स और फार्मिनीफर्स।

(ख) गोंडवाना तथा शिवालिक प्राणिज्ञान पर बल देते हुए कशेरुकियों के प्रमुख समूह मानव, हाथी तथा घोड़ा का विकास वृत्त

(ग) गोंडवाना वनस्पति पर बल सहित जीवाश्म वनस्पति तथा इसका महत्व और वितरण।

(घ) सूक्ष्मपुराभूगोल योरेमिनीफराइड्स के विशेष सन्दर्भ में इसका महत्व उनकी परिस्थिति विज्ञान तथा पुरापरिस्थिति विज्ञान।

(3) भूविज्ञान प्रश्न-पत्र 2

क—क्रिस्टल विज्ञान

क्रिस्टलों के सममिति तत्व तथा वर्गीकरण। प्रक्षेप—गोलीय तथा त्रिविम: 32 क्लास (बिन्दु समूह)। यमलन तथा क्रिस्टल अपूर्णता।

ख—वर्णनात्मक खनिज विज्ञान

खनिजों के भौतिक रसायनिक वैद्युत चुम्बकीय तथा तापीय गुणधर्म। सिलिकेटों की संरचना तथा वर्गीकरण।

आलिवीन ग्रुप, गार्नेट ग्रुप एपिडोट ग्रुप और मेलिलाइट ग्रुप। जरकान स्फीन सिलीमेनाइट ऐन्डलूसाइट कायनाइट पुखराज स्टारोलाइट बैरिल, कार्डियराइट टूरमैलीन। पाइराक्सीन ग्रुप और ऐम्फिबोल ग्रुप। अभ्रक समूह क्लोराइट ग्रुप तथा मृत्तिका खनिज। फैल्डस्पार ग्रुप सिलिका सिनटरस फैल्सपैथाइड ग्रुप। जियोलाइट ग्रुप तथा स्कैपोलाइट ग्रुप। आक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स कार्बोनेटस फास्फेट, हैलाइड्स सल्फाइड्स तथा सल्फेट्स।

ग—प्रकाशिक खनिज विज्ञान

प्रकाशिकी के सामान्य सिद्धांत। प्रकाशिक उपसाधन। अपवर्तन, द्विअपवर्तन, विलोप कोण, बहुवर्णता। प्रकाशिक दीर्घवृत्तज, प्रकाशिक अक्षीय कोण। प्रकाशिक अभिविन्यास परिक्षेपण। प्रकीर्णन। प्रकाशिक विसंगतियां।

घ—शैलविज्ञान

(i) आग्नेय :—स्वरूप, संरचना, गठन और वर्गीकरण। ग्रेनाइट ग्रेनोडायोराइटवा-डायोराइट। माइनाइट-नैफेलाइन साइनाइट। ग्रैबोपेरीडोटाइट डुनाइट। डालराइट, लेम्प्रोफायर, पैग्माटाइट-एप्लाइट, क्वार्ट्जोलाइट तथा कार्बोनाटाइट। रियोलाइट, ट्रैकाइट डैकाइट, एन्डेसाइट तथा बेसाल्ट।

सिलिकेट सिस्टम में प्रावस्था नियम तथा साम्यता। द्विघटक तथा त्रिघटक तत्र। क्रिस्टलीकरण क्रम। अभिक्रिया सिद्धान्त। क्रिस्टलीकरण—असकेता। विभिन्नता। विभिन्नता आरेख। ग्रैनाइट्स, मोनोमिनरलिक तथा क्षारीय शैल, कार्बोनेटाइटस, पैग्माटाइटस तथा लैम्प्रोफायरों का उद्गम।

(ii) अवसादी :—वर्गीकरण तथा बनावट। अवसादों का मूल। गठन और संरचना। अवसादी शैलों के प्रमुख समूहों का अध्ययन। अवसादों का यांत्रिक विश्लेषण। निक्षेपण की पद्धतियां। पुराधाराएं तथा द्रोणी विश्लेषण। अवसादों का उद्गम क्षेत्र। निक्षेपणीय पर्यावरण, भारी खनिज तथा उनका महत्व। शिली भवन तथा प्रसंघन।

(iii) कायान्तरित शैल : कायान्तरण के कारण, प्ररूप नियंत्रण संरचना, श्रेणी तथा संलक्षण कायान्तरी विभेदन। तत्वान्तरण तथा ग्रेनाइटी भवन। अधिसंरचना, कणिकाश्म, चानोकाइट, ऐम्फिबोलाइट्स, शिस्ट, नाइसिसेज और हार्नफेल्स। मेग्मा और ओरोजनी के सम्बन्ध में कायान्तरण।

ङ० भू-रसायन विज्ञान

अवयवों का अन्तरिक्षी बाहुल्य, गृह पृथ्वी का प्रारंभिक भू-रासायनिक विभेदन, अवयवों का भू-रासायनिक वर्गीकरण, अनुरेख अवयव। जल का भू-रसायन विज्ञान। अवसादों का भू-रसायन विज्ञान, भू-रासायनिक चक्र तथा भूरासायनिक सर्वेक्षण के सिद्धांत।

(4) भू-विज्ञान प्रश्न-पत्र 3

क— भारतीय खनिज निक्षेप

निम्नलिखित धातु तथा अधातु अयस्कों और खनिजों का भारतीय निक्षेप, जो उनके वितरण, उपस्थिति तथा उद्गम प्रणाली के संदर्भ में हों;

(क) तांबा, सीसा, जस्त, एल्यूमिनियम, मैगनेशियम, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम सोना, चांदी, टंगस्टेन, तथा मोलिबडेनम।

(ख) अभ्रक, वर्मिक्यूलाइट, ऐस्बेस्टस, बैरीटिस, ग्रेफाइट, जिप्सम, गैरिक, मूल्यवान तथा अल्पमूल्य खनिज, उच्चमतापसह खनिज, अपघर्षी तथा मृत्तिकाशिल्प हेतु खनिज, कांच, उर्वरक, सीमेंट, प्रलेप तथा वर्णन उद्योग और निर्माणी पत्थर।

(ग) कोयला, पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा परमाणु ऊर्जा खनिज।

ख— खनिज अन्वेषण

पृष्ठीय तथा अपृष्ठीय अन्वेषण की पद्धतियां, क्षेत्रगत उपस्कर तथा अन्वेषण हेतु क्षेत्रगत परीक्षण; अयस्क निक्षेपों का पता देने वाले निदेश, अयस्क निक्षेपों का प्रतिचयन, आमापन और मूल्यांकन। खनिज अन्वेषण में भू-भौतिक, भू-रसायनिक तथा भूवैविक सर्वेक्षणों का अनुप्रयोग।

ग— खनिज अर्थशास्त्र

राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था में खनिजों का महत्व। विनिर्माण उद्योगों में विभिन्न खनिजों का प्रयोग मांग, आपूर्ति और प्रतिस्थापन। भारत के प्रमुख। खनिजों का उत्पादन तथा मूल्य। खनिज उद्योगों के अन्तर्राष्ट्रीय पहलू। सामरिक, क्रांतिक और अनिवार्य खनिज। संरक्षण तथा राष्ट्रीय खनिज नीति। खनिज उत्पादन में भारत की स्थिति।

घ—आर्थिक भूविज्ञान

खनिज निक्षेप-रूपण प्रक्रिया, स्थानिकीकरण का नियंत्रण तथा वर्गीकरण। आवश्यक धात्विक तथा अधात्विक खनिजों का अध्ययन जो उनकी खनिजीयता, उपस्थिति तथा वितरण के संदर्भ में किया गया हो।

5. जल-भूविज्ञानी

जल-भूविज्ञान चक्र । भू-पर्पटी में जल वितरण । जलीय चक्र में भूजल भू-जल आकाशी, कच्चा और मैग्मज जल और स्रोतों का उद्‌भव । जलधारी लक्षणों की दृष्टि से शैलों का वर्गीकरण, जल स्तरिक एकक । भू-जल की उपस्थिति के अनुकूल भूवैज्ञानिक संरचना भू-जल क्षेत्र । भू-जल भंडार । जल भर, मितजलभृत, एक्वीटार्ड्‌स । जलभरों का वर्गीकरण ।

शैलों के जलवैज्ञानिक गुणधर्म (भू-जल भंडार) सरंध्रता रिक्ति अनुपात चुम्बकशीलता, पारागम्यता, स्टोरेटिविटी, आपेक्षिक पराभव, आपेक्षिक धारिता, विसरणशीलता । भू-जल भंडार के गुणधर्मों की पहचान पद्धतियां कूप पद्धतियों तथा प्रयोगशाला प्रविधियों के विसर्जन द्वारा चुंबक शीलता और आपेक्षिक पराभव । स्टोरेटिविटी की पहचान । भू-जल को गति प्रदान करने वाले बल । भू-जल गति के नियम-डार्सी नियम के भूजल का पुनर्भरण कृत्रिम तथा प्राकृतिक पुनर्भरण के नियंत्रक कारक, भूजल के गुति और क्षयी प्रयोग ।

भू-जल अन्वेषण की पृष्ठीय तथा उपपृष्ठीय प्रविधियां भूवैज्ञानिक तथा भूभौतिकजल संतुलन । भू-जल निष्कर्षण की प्रविधियां (कूप प्रवाह सर्वाधिक उपज हेतु विभिन्न प्रकार के शैल क्षेत्रों में कूप निर्माण की पद्धतियां) । विभिन्न प्रकार के प्रयोगों पर, उद्योग तथा सिंचाई संबंधी संदर्भ में भू-जल के रासायनिक लक्षण, जल प्रदूषण ।

परिशिष्ट 2

उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम

ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अपेक्षित शारीरिक स्तर के हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों (मेडिकल एग्जामिनर्स) के मार्ग निर्देशन के लिए भी हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनयमों में निर्धारित न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता तो उसे स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जा सकता । किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित मानक के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह लिखित रूप से स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार को यह अनुशंसा कर सके कि उक्त उम्मीदवार को सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी ।

यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि भारत सरकार को चिकित्सा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद किसी भी उम्मीदवार को अस्वीकृत या स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा । उन रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों तथा सीमा सुरक्षा दल के कर्मचारियों के मामले में 1971 के भारत-पाक शत्रुता संघर्ष में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए हों और उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त हुए हों, पदों की अपेक्षाओं को देखते हुए, उन्हें स्तर में छूट दी जाएगी ।

1. नियुक्ति के लिए स्वस्थ ठहराए जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवारों का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. भारतीय (एंग्लोइंडियन सहित) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेरे के परस्पर संबंध के बारे में मैडिकल बोर्ड के ऊपर यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्गदर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाएं । यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और उनकी छाती का एक्स-रे लेना चाहिए। ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा अस्वस्थ घोषित करेगा ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से मापा जाएगा ।

वह अपने जूते उतार देगा और उस मापदण्ड (स्टैंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन सिवाय एड़िया के पांवों के अंगूठों या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी ऐड़ियां, पिंडलियां, नितम्ब और कंधे मापदंड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टेक्स आफ दी हैड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में मापा जाएगा ।

4. उम्मीदवार की छाती मापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि इसका ऊपरी किनारा अंसफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर ऐंगिल्स) के पीछे लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले आने पर उसी आड़े समतल (हारिजेंटल/प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं ताकि फीता अपने स्थान से हट न जाए। तब उम्मीदवार को कई बार गहरी सांस लेने के लिए कहा जाएगा तथा छाती के अधिक से अधिक फैलाव पर सावधानी से ध्यान दिया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84-89, 86-93-5 आदि । माप रिकार्ड करते समय आधी सेंटीमीटर से कम भिन्न (फ्रैक्शन) को नोट नहीं करना चाहिए ।

ध्यान दें :—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार मापे जाने चाहिएं ।

5. उम्मीदवार का वजन किया जाएगा और यह किलोग्राम में होगा। आधा किलोग्राम या उसका अंश नोट नहीं करना चाहिए ।

6. उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(i) सामान्य (जनरल) :—किसी रोग या असामान्यता (एब्नार्मेलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी । यदि उम्मीदवार को आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कान्टिगुअस स्ट्रक्चर्स) को कोई ऐसा रोग हो जो उसे अब या आगे किसी समय सेवा के लिए अयोग्य बना सकता हो, तो उसे अस्वीकृति कर दिया जाएगा ।

(ii) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्यूइटी) दृष्टि की तीव्रता का निर्धारण करने के लिए दो तरह की जांच की जाएगी । एक दूसरे की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए । प्रत्येक आंख की अलग अलग परीक्षा की जाएगी । चश्मे के बिना आंख की नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक मामले में मैडिकल बोर्ड या अन्य मैडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल-सूचना (बेसिक इन्फारमेशन) मिल जाएगी ।

चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दृष्टि तीक्ष्णता का मानक निम्नलिखित होगा :—

	दूर की दृष्टि		निकट की दृष्टि	
	अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
35 वर्ष से कम आयु वाले	6/9	6/9	.06	0.8
अथवा				
उम्मीदवारों के लिए	6/6	6/12		

नोट : (1) मायोपिया का कुल परिमाण (सिलेंडर सहित) 4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए। हाइपर मैट्रोपिया का कुल परिमाण (सिलेंडर सहित) 4.00 डी० से अधिक नहीं होना चाहिए।

नोट : (2) फंड्स परीक्षा : जहां तक संभव होगा चिकित्सा बोर्ड की विवक्षा पर फंड्स परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किया जाएगा।

नोट : (3) कलर विजन :

(i) कलर विजन की जांच जरूरी होगी।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न में एपर्चर के आकार पर निर्भर होगा।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मी०मीटर	13मी० मीटर
3. उद्भासन काल	5 सैकेंड	5 सैकेंड

जनता की सुरक्षा से संबद्ध सेवाओं के लिए, अर्थात पायलटों, ड्राइवरों गार्डों आदि के लिए कलर विजन का उच्चतर ग्रेड आवश्यक है किन्तु अन्य के लिए कलर विजन का निम्नतर ग्रेड उपयुक्त समझा जाएगा। कलर विजन का यही स्तर समस्त इंजीनियरी कार्मिकों के संबंध में भी लागू होगा, जिन मामलों में रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक हो चाहे उनकी ड्यूटी क्षेत्रगत कार्य (फील्ड वर्क) से संबद्ध हो या नहीं।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एडिजग्रीन की लैंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और उसके रोशनी में दिखाया जाता है कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जायेगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारण तथा पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से संबंधित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामले में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

नोट : (4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन) : सम्मुख विधि (कन्फन्टेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब क्षेत्र को परमापी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

नोट : (5) रतौंधी (नाइट ब्लाइन्डनेस) :—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है। रतौंधी में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई स्टैंडर्ड टेस्ट निश्चित नहीं है। मैडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में लाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि तीक्षणता रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के कहने पर ही हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर उचित विचार किया जाना चाहिए।

नोट : (6) दृष्टि की तीक्षणता से भिन्न आंख की दशाएं (आक्युलर कंडीशन्स)

(क) आंख की अंग संबंधी बीमारी को या बढ़ती हुई अपवर्तन त्रुटि (रिफ्रेक्टिव एरर) को जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की तीक्षणता के कम होने की संभावना हो अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रकोमा) : रोहे जब तक भयानक न हों, साधारणतः अयोग्यता का कारण नहीं समझना चाहिए।

(ग) भेंगापन : जहां दोनों आंखों की दृष्टि का होना जरूरी है, भेंगापन अयोग्यता माना जाएगा, चाहे दृष्टि की तीक्षणता निर्धारित स्तर की ही क्यों न हो।

(घ) एक आंख वाला व्यक्ति : एक आंख वाले व्यक्ति की नियुक्ति हेतु अनुशंसा नहीं की जाएगी।

7. रक्त दाब (ब्लड प्रैशर) :

ब्लड प्रैशर के संबंध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल मैक्जीमम सिस्टालिक प्रैशर के आकलन की काम चलाऊ विधि निम्न प्रकार है :—

(i) 15 से 25 वर्ष के युवा व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रैशर लगभग 100 आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रैशर के आकलन में 110 आधी आयु का सामान्य नियम बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

ध्यान दें :— सामान्य नियम के रूप में 140 एम० एम० के ऊपर सिस्टालिक प्रैशर और 90 एम० एम० के ऊपर डायस्टालिक प्रैशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए और उम्मीदवार को अयोग्य या योग्य ठहराने के संबंध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रैशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (ओर्गेनिक) बीमारी है। ऐसे सभी मामलों में हृदय का एक्सरे और इलैक्ट्रोकार्डियोग्राफी जांच और रक्त यूरिया निकाय (क्लियरेंस) की जांच भी नेमी तौर पर की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।

ब्लड प्रैशर (रक्त दाब) लेने का तरीका :—

नियमित पारे वाले दाबमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का उपकरण (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी बांह शिथिल और आराम से हो। बांह थोड़ी बहुत हॉरिजेंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर ही तथा उसके कन्धे से कपड़ा उतार देने चाहिए। कफ में पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और उसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर कर के लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर बाहु धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टेटथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे। कफ में लगभग 200 एम० एम० एच० जी० हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रैशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो और तेज ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई सी लुप्त प्रायः हो जाएं। यह डायस्टालिक प्रैशर है। ब्लड प्रैशर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफ के लम्बे समय तक का दबाव रोगी के लिए क्षोभकारी होता है और इससे रीडिंग गलत होता है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए (कभी कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं; दाब गिरने पर ये गायब हो जाती हैं तथा निम्न स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इसे साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की ही परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता लगे तो बोर्ड इसके सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिह्न और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोज मेह (ग्लाइकोसूरिया) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टेंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह अमधुमेही (नान डायाबेटिक) है और बोर्ड इस केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधायें हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टेंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबोरेटरी परीक्षाएँ जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" 'अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणाम स्वरूप कोई महिला उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पाई जाती है तो उसको अस्थायी रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसका प्रसव पूरा न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी का स्वस्थता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूती की तारीख के 6 हफ्ते बाद आरोग्य प्रमाण पत्र के लिए उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए :

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है और उसके कान में बीमारी का कोई चिन्ह नहीं है। यदि कोई कान की खराबी हो तो उसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो यह उपबन्ध भारतीय रेल भण्डार सेवा के अलावा अन्य रेल सेवाओं, सेना इंजीनियरी सेवा, तार इंजीनियरी सेवा ग्रुप क, तार यातायात सेवा ग्रुप ख, केन्द्रीय इंजीनियरिंग सेवा ग्रुप क और केन्द्रीय वैद्युत इंजीनियरी सेवा ग्रुप पर लागू नहीं है। चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी के मार्ग दर्शन के लिये इस सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी दी जाती है।

1	2	3
(1)	एक कान में प्रकट अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरा कान सामान्य होगा	यदि उच्च फ्रीक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबिल तक हो तो गैर तकनीकी काम के लिए योग्य ।
(2)	दोनों कानों में बहरेपन का प्रत्यक्ष बोध, जिसमें श्रवण यंत्र (हियरिंग एड) द्वारा कुछ सुधार संभव हो ।	यदि 1000 से 4000 तक की स्पीच फ्रिक्वेंसी में बहरापन 30 डेसीबिल तक हो तो तकनीकी तथा गैर-तकनीकी दोनों प्रकार के काम के लिए योग्य ।
(3)	सेन्ट्रल अथवा मार्जिनल टाइप के टिमपेनिक मेम्ब्रेन में छिद्र ।	(i) एक कान सामान्य हो दूसरे कान में टिमपेनिक मेम्ब्रेन में छिद्र हो तो अस्थायी आधार पर अयोग्य । कान की शल्य चिकित्सा की स्थिति सुधारने से दोनों कानों में मार्जिनल या अन्य छिद्र वाले उम्मीदवारों को अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित करके उस पर नीचे दिए गए नियम 4(ii) के अधीन विचार किया जा सकता है । (ii) दोनों कानों में मार्जिनल या एटिक छिद्र होने पर अयोग्य । (iii) दोनों कानों में सेन्ट्रल छिद्र होने पर अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(4)	कान के एक ओर से/दोनों ओर से मस्टायड कैविटी से सबनार्मल श्रवण	(i) किसी एक कान के सामान्य रूप से एक ओर से मस्टायड कैविटी से सुनाई देता हो, दूसरे कान में सबनार्मल श्रवण वाले कान/मस्टायड कैविटी होने पर तकनीकी तथा गैरतकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए योग्य । (ii) दोनों ओर से मस्टायड कैविटी तकनीकी काम के लिए अयोग्य, यदि किसी भी कान की श्रवणता श्रवण यंत्र लगाकर अथवा बिना लगाए सुधर कर 30 डेसीबिल हो जाने पर गैर तकनीकी कामों के लिए योग्य ।
(5)	बहते रहने वाला कान आपरेशन किया गया/बिना आपरेशन वाला	तकनीकी तथा गैर तकनीकी दोनों प्रकार के कामों के लिए अस्थायी रूप में अयोग्य ।
(6)	नासापुट की हड्डी संबंधों/विसिरताओं (दोनों डिफार्मिटी) सहित अथवा उससे रहित नाक की जीर्ण प्रदाहक एलर्जिक दशा	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जाएगा । (ii) यदि लक्षणों सहित नासापुट अपसरण विद्यमान होने पर अस्थायी रूप में अयोग्य ।
(7)	टांसिल्स और/अथवा स्वर यंत्र (लेरिन्क्स) की जीर्ण प्रदाहक दशा ।	(i) टांसिल और/अथवा स्वरयंत्र की जीर्ण प्रदाहक दशायोग्य । (ii) यदि आवाज में अत्यधिक कर्कशता विद्यमान हो तो अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(8)	कान, नाक, गले (ई० एन० टी०) के ट्यूमर	(i) हल्का ट्यूमर अयोग्य ।
(9)	आस्टोस्क्लिरोसिस . .	(ii) दुर्दम ट्यूमर—अयोग्य । श्रवण तंत्र की सहायता से या आपरेशन के बाद श्रवणता 30 डेसीमीटर के अन्दर होने पर योग्य ।

1	2	3
(10) कान, नाक अथवा गले के जन्मजात दोष		(i) यदि काम काज में बाधक न हो तो योग्य। (ii) भारी मात्रा में हकलाहट हो तो अयोग्य।
(11) नेजल पोली		अस्थायी रूप से अयोग्य।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता/हकलाती नहीं हो।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रप्चर है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वेरिकोसिल, वेरिकोजशिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी ग्रंथियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिन से कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।

(ण) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिए।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्वक ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

नोट :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त सेवाओं के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने के लिए कोई हक नहीं है, किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के सम्बन्ध में प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने एक अपील की इजाजत दे सकती है। ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करे तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जाएगा जबकि इसमें संबंधित मेडिकल प्रैक्टीशनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि वह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्ण ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका हो।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवारों की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा, जिसके बारे में यथा स्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट कर लिया जाए कि यही प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह इस हाल में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम परिस्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

जो उम्मीदवार भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) और सहायक भू-विज्ञानी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें भारत में या भारत से बाहर क्षेत्रगत कार्य करना होगा। ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा बोर्ड को अपना मत स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए कि वह क्षेत्रगत कार्य के लिए योग्य है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट गोपनीय रखनी चाहिए।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं। किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उसका विस्तृत ब्योरा नहीं दिया जा सकता है।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (मेडिकल या सर्जिकल) द्वारा दूर हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतन्त्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर पर अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा की जाए तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेन्ट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन)

पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उस उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें··························
(साफ अक्षरों में)

2 अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें··················

2 (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड जन जाति आदि में से किसी जाति से संबंधित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है। "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए। उत्तर हां में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (ग्लैन्ड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के दौरे, रुमेटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है?

(ख) क्या दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मेडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है?

4. आपको चेचक आदि का टीका आखिरी बार कब लगा था?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरे दें:—

यदि पिता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हों तो उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	मृत्यु के समय माता की आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है?

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर हां में हो तो बताइये किस सेवा/किन सेवाओं के लिए आपकी परीक्षा की गई थी?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था?··················

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ?··················

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो··················
·································

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर··············

मेरे सामने हस्ताक्षर किये··············

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर··············

नोट:—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेवार होगा। जानबूझ कर किसी सूचना को छिपाने से यह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य निवृत्ति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रैचुटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) ································ (उम्मीदवार का नाम) की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट··············

1 सामान्य विकास:—अच्छा ·············· ··············बीच का ·················· कम ··················

पोषण: पतला ················ औसत ··············
मोटा ·················· ····कद (जूते उतार कर) ······
·············· वजन ······ ··············
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन··················

तापमान: ······················ ··················

छाती का घेर ·········· · ··················

(1) पूरा सांस खींचने पर ··············· ··········

(2) पूरा सांस निकालने पर··················

2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी ··················

3 नेत्र ······························

(1) कोई बीमारी ···· ········· ·········

(2) रतौंधी ············ ···············

(3) कलर विजन का दोष ··············· ·····

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)··············

(5) फंडस की जांच ························

(6) दृष्टि तीक्ष्णता (विजुअल एक्वीटी) ··············

(7) द्विविम मापन की योग्यता ··················

दृष्टि की तीक्ष्णता		चश्मे के बिना	चश्मे से	चश्मे की पावर गोल सिलिण्डिकल
दूर की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
पास की नजर	दा० ने०			
	बा० ने०			
हाईपरमेट्रोपिया (व्यक्त)	दा० ने०			
	बा० ने०			

4. कान निरीक्षण ························ सुनना
दायां कान ················ बायां कान ··········

5. ग्रंथियां ··················· थाईराइड ··········

6. दांतों की हालत ·························

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षण करने पर सांस के अंगों में किसी असमानता का पता लगा है? यदि पता लगा है तो असमानता का पूरा ब्यौरा दें··········
··························

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)

(क) हृदय और आंगिक गति (आंगनिक लीजन) ··········

गति (रेट)

खड़ा होने पर

25 बार कुदाए जाने के बाद ··················

कुदाए जाने के 2 मिनट बाद··················

(ख) ब्लड प्रेशर ....सिस्टालिक ..
.......................डायस्टालिक

9. उदर (पेट) घेरा ....स्पर्शसहाना
हर्निया ....

(क) दबाकर मालूम पड़ना : जिगर ....
तिल्ली ....
गुर्दे ....
ट्यूमर ....

(ख) रक्तार्श ....
भगंदर ....

10. तांत्रिका तंत्र (नर्वसिस्टम) तांत्रिका या मानसिक अपसामान्यता का संकेत ....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) ....
कोई अपसामान्यता ....

12. जनन मूत्र तंत्र (जैनिटो यूरिनरी सिस्टम) :—हाइड्रोसील, वैरिकोसील आदि का कोई संकेत :—

मूत्र परीक्षा :—

(क) कैसा दिखाई पड़ता है ?

(ख) अपेक्षित गुरुत्व (स्पेसिफिक ग्रेविटी)

(ग) एल्बुमैन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट्स

(च) कोशिकाएं (सैल्स)

13. छाती का एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट........................

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह इस सेवा की ड्यूटी को दक्षतापूर्वक निभाने के लिए अयोग्य हो सकता है ?

नोट :—महिला उम्मीदवारों के मामले में यदि यह पाया जाता है कि वह 12 सप्ताह अथवा उससे अधिक समय से गर्भिणी है तो उसे अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, देखें विनियम 9 ।

15. (क) उम्मीदवार परीक्षा कर लिए जाने के बाद किन सेवाओं में कार्य के दक्ष तथा सतत निष्पादन हेतु सभी प्रकार से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए वह अयोग्य पाया गया है ?

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्रगत सेवा के लिए योग्य है ?

नोट :—बोर्ड को अपना निर्णय निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक में रिकार्ड करना चाहिए :

(1) योग्य

(2) .... के कारण अयोग्य ।

(3) .... के कारण अस्थायी रूप से अयोग्य ।

स्थान .... अध्यक्ष ....
तारीख .... सदस्य ....

परिशिष्ट-3

इस परीक्षा के आधार पर जिन पदों के लिए भर्ती की जा रही है उनके संबंध में संक्षिप्त विवरण :—

1. भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण

(i) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहना होगा । आवश्यक होने पर यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में वेतन का निर्धारित वेतनमान :—

(1) भू विज्ञानी (कनिष्ठ वेतनमान) : रु० 700-40-900-द० रो०-40-1100-50-1300

(2) भू-विज्ञानी (वरिष्ठ वेतनमान) : रु० 1100-50-1600 ।

(3) निदेशक :—रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

(4) उप महानिदेशक :—रु० 2250-125/2-2500-द० रो०-125/2-2750/-

(5) महानिदेशक—रु० 3000 (नियत) ।

(ग) सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित किए गए भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी ।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं ।

(ङ) सरकार द्वारा समय-समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित शर्तों के अनुसार भविष्य निधि की शर्तें लागू होंगी ।

(च) भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है ।

(2) सहायक भू-विज्ञान ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा । यदि आवश्यकता हुई तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) वेतन का निर्धारित वेतनमान :— रु० 650-30-740-35-810-द० रो०-35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 ।

(ग) भू-विज्ञानी (ग्रुप क—कनिष्ठ वेतनमान) के संवर्ग में भर्ती अंशत: संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशत: सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण में सहायक भू-विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाएगी ।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित क्रमश: मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं ।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित हैं ।

(च) सहायक भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है ।

2. केन्द्रीय भू-जल बोर्ड :

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी ग्रुप क

(क) नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी यदि आवश्यक हुआ तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है ।

(ख) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड में वेतन का निर्धारित वेतनमान :—

(1) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी :—रु० 700-40-900-द० रो-40-1100-50-1300 ।

(2) वरिष्ठ जल-भूविज्ञानी : रु० 1100-50-1600 ।

(3) निदेशक : रु० 1500-60-1800-100-2000 ।

(4) मुख्य जल भू-विज्ञानी : रु० 2250-125-2500 ।

(ग) सरकार द्वारा समय समय पर संशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभाग में पदों के उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नति की जाएगी ।

(घ) सेवा और अवकाश तथा पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय समय पर आशोधित मूल नियमों और सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित है।

(च) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के समस्त अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कार्य करना पड़ सकता है।

2. सहायक जल भू-विज्ञानी ग्रुप ख

(क) नियुक्ति हेतु चुने गए उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाएगा, यदि आवश्यक समझा गया, तो यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है।

(ख) वेतन का निर्धारित वेतनमान :—रु० 650–30–740–35–810–द० रो०–35–880–40–1000–द० रो०–40–1200।

(ग) कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी (ग्रुप क) के संवर्ग में भर्ती अंशतः संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा और अंशतः समय समय पर सरकार द्वारा आशोधित भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के सहायक जल विज्ञानी के निम्न ग्रेड से पदोन्नति द्वारा की जाएगी।

(घ) सेवा, अवकाश और पेंशन की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय समय पर आशोधित मूल नियमों तथा सिविल सेवा विनियमों में उल्लिखित हैं :

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें वही होंगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर आशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में उल्लिखित है।

(च) सहायक जल भू-विज्ञानियों को भारत में या भारत के बाहर कहीं भी कार्य करना पड़ सकता है।

परिशिष्ट—4

संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका

(क) वस्तु परक परीक्षण

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं उसको 'वस्तुपरक परीक्षण' कहा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में आपको उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिसको आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई संभाव्य उत्तर दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) आपको चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

(ख) परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न-पत्र 'परीक्षण पुस्तिका' के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3, ... के क्रम से होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे ए, बी, सी, क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही या, यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही हैं तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। (अंत में दिए गए नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।

(ग) उत्तर देने की विधि

उत्तर देने के लिए आपको अलग से एक उत्तर पत्रक परीक्षा भवन में दिया जाएगा। आपको अपने उत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे। परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर जांचे जाएंगे।

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 200 तक चार खंडों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने ए०, बी०, सी०, डी० ओ० . . . . के क्रम से प्रत्युत्तर छपे होंगे। परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन-सा प्रत्युत्तर सही या सर्वोत्तम है, आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर को दर्शाने वाले आयत को पेन्सिल से काला बनाकर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि संलग्न उत्तर पत्रक के नमूने पर दिखाया गया है। उत्तर पत्रक के आयत को काला बनाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

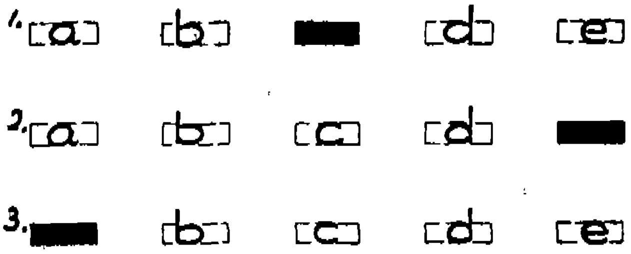

आपके उत्तर पत्रक में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन एक मूल्यांकन मशीन से किया जाएगा। जो गलत उत्तर, एच० बी० पेंसिल के अतिरिक्त दूसरी पेंसिल के प्रयोग और विकृत उत्तर पत्रक को पहचानने में बड़ी सुग्राही हैं। इस लिए यह जरूरी है कि प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल (पेंसिलें) ही लाएं और उन्हीं का प्रयोग करें। दूसरी पेंसिलों या पेन के द्वारा बनाए गए निशान, संभव है, मशीन से ठीक ठीक न पढ़े जाएं।

2. अगर आपने गलत निशान लगाया है, तो उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें। इसके लिए आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे वह खराब हो जाए या उसमें मोड़ व सलवट आदि पड़ जाएं और वह टेढ़ा हो जाए।

(घ) कुछ महत्वपूर्ण नियम

1. आपको परीक्षा आरम्भ करने के लिए निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षण शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षण में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद, परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक पर्यवेक्षक को सौंप दें। आपको परीक्षण पुस्तिका परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दण्ड दिया जाएगा।

5. उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा/परीक्षण का नाम, अपना रोल नम्बर, केन्द्र, विषय, परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या स्याही से साफ साफ लिखें। उत्तर पत्रक पर आप कहीं भी अपना नाम न लिखें।

6. परीक्षण पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। चूंकि मूल्यांकन मशीन के द्वारा होता है, इसलिए सम्भव है कि

इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नम्बर कम हो जाएं। अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है, तो उस प्रश्नांश के लिए आपको कोई नम्बर नहीं मिलेगा। पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का पालन करें। जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरम्भ या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लाएं। आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी। आपको परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या कागज का टुकड़ा, पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी। कच्चे काम के लिए आपको एक अलग कागज दिया जाएगा। आप कच्चा काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस कर दें।

(ङ) विशेष अनुदेश

जब आप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब निरीक्षक से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा। उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें। यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका देंगे। प्रत्येक परीक्षण-पुस्तिका पर हाशिये में सील लगी होगी जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल नहीं पाए। जैसे ही आपको परीक्षण पुस्तिका मिल जाए, तुरन्त आप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है और सील लगी हुई है। अन्यथा, उसे बदलवा लें। जब यह हो जाए तब आपको उत्तर पत्रक के सम्बद्ध खाने में अपनी परीक्षण-पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी। जब तक पर्यवेक्षक परीक्षण पुस्तिका की सील तोड़ने को न कहें तब तक आप उसे न तोड़ें।

(च) कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को जांचना है, फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का, दक्षता से उपयोग करें। संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं, बढ़ें, पर लापरवाही न हो। अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हों तो चिन्ता न करें। आप को जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़ें, उन पर समय व्यर्थ न करें। दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें।

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे।

प्रश्न इस तरह बनाए जाते हैं कि उनसे आपकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा, जानकारी, सूझ-बूझ और विश्लेषण-क्षमता की परीक्षा हो। आपके लिए यह लाभदायक होगा कि आप संगत विषयों को एक बार सरसरी निगाह से देख लें और इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि आप अपने विषय को अच्छी तरह समझते हैं।

(छ) परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बन्द करने को कहे, आप लिखना बन्द कर दें। जो उम्मीदवार इस तरह बन्द नहीं करते हैं, वे दण्ड के भागी होंगे।

जब आपका उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके यहां आकर आपकी परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक न ले जाएं और आपको "हाल" छोड़ने की अनुमति न दें। आपको परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले दण्ड के भागी होंगे।

नमूने के प्रश्न

1. मौर्य वंश के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन-सा उत्तरदायी नहीं है?

(ए) अशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे।

(बी) अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ।

(सी) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई।

(डी) अशोकोत्तर युग में आर्थिक रिक्तता थी।

उत्तर (डी)

2. संसदीय स्वरूप की सरकार में

(ए) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।

(बी) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है।

(सी) कार्यपालिका, विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

(डी) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है।

(ई) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है।

उत्तर (सी)

3. पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप का मुख्य प्रयोजन

(ए) विकास की सुविधा प्रदान करना है।

(बी) अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है।

(सी) नियत कक्षा-कार्य से राहत देना है?

(डी) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है।

उत्तर (ए)

4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है:

(ए) शुक्र (सी) बृहस्पति

(बी) मंगल (डी) बुध

उत्तर (डी)

5. वन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन-सा विवरण स्पष्ट करता है।

(ए) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, मिट्टी का क्षरण, उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है।

(बी) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं, नदियां उतनी ही गाद से भरी होती हैं जिससे बाढ़ होती है।

(सी) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, नदियां उतनी ही कम गाद से भरी होती हैं जिससे बाढ़ रोकी जाती है।

(डी) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उतनी ही धीमी गति से बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है।

उत्तर (सी)

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1978

संकल्प

सं० 9/7/78-ई० पी० (एग्री) VI—भारत सरकार ने दिनांक 16 अगस्त तथा 15 नवम्बर, 1978 के सम संख्यक संकल्पों द्वारा यथा-संशोधित दिनांक 15 जुलाई, 1978 के संकल्प सं० 9/7/78-ई० पी० (एग्री VI) द्वारा तम्बाकू पर एक विशेषज्ञ दल स्थापित किया था। 15 जुलाई, 1978 के संकल्प में निम्नलिखित संशोधन किये जाएं :—

"श्री पी० के० कौल अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य, नागरिक पूर्ति तथा सहकारिता मंत्रालय के स्थान पर श्री एस० पी० मुकर्जी, अपर सचिव, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) विशेषज्ञ दल के अध्यक्ष होंगे"।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों तथा भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० सी० पांडे, संयुक्त सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 दिसम्बर 1978

संकल्प

सं० वी० 17020/25/77-एम० ई० (पी० जी०)—स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने 13 मई, 1977 के संकल्प संख्या वी० 17020/25/77-एम० ई० (पी० जी०) के अनुसरण में डा० के० नागप्पा अल्वा का एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया था ताकि वह उक्त संकल्प में निर्दिष्ट विचारार्थ विषयों के अन्तर्गत दिए गए विभिन्न मामलों की जांच कर सकें और उन पर रिपोर्ट दे सकें। इस आयोग को अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को देर से देर 30 सितम्बर, 1977 तक प्रस्तुत करनी थी।

30 सितम्बर, 1977, 19 दिसम्बर, 1977, 18 जनवरी 1978, 9 फरवरी 1978, 8 मई, 1978, 14 जुलाई 1978 और 21 सितम्बर, 1978 के संकल्प संख्या वी० 17020/25/77-एम० ई० (पी० जी०) के अनुसरण में इस आयोग की अवधि को 31 दिसम्बर, 1978 तक बढ़ा दिया गया था। अब भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि यह आयोग केंद्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट देर से देर 30 अप्रैल 1979 तक प्रस्तुत करेगा।

आदेश

आदेश है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

का० रा० कृष्णमूर्ति, संयुक्त सचिव

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1978

संकल्प

सं० 50-1/78-सी० ए० I—भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि भारतीय चावल विकास परिषद का, जिसे पिछली बार भारत सरकार ने 29 नवम्बर, 1975 के संकल्प संख्या 24-1/75-सी० ए०-3 द्वारा गठित किया था, 1 जनवरी, 1979 से निम्नलिखित रूप से पुनर्गठन किया जाएगा :—

1. अध्यक्ष — एक गैर-सरकारी व्यक्ति जो भारत सरकार द्वारा नामजद किया जाएगा।

2. उपाध्यक्ष — कृषि आयुक्त, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, कृषि विभाग, नई दिल्ली।

3. सदस्य

क. संसद सदस्य — तीन संसद सदस्य जो संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामजद किए जाएंगे।

ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि — नीचे लिखी राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार नामजद करेगी :—

1. आंध्र प्रदेश	8. मध्य प्रदेश
2. आसाम	9. महाराष्ट्र
3. बिहार	10. उड़ीसा
4. हरियाणा	11. पंजाब
5. जम्मू और काश्मीर	12. उत्तर प्रदेश
6. कर्नाटक	13. तमिलनाडु
7. केरल	14. पश्चिमी बंगाल

ग. केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि —

1. विस्तार आयुक्त, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, कृषि विभाग, नई दिल्ली। अथवा उनका नामजद व्यक्ति।
2. महा निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।
3. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि।
4. खाद्य विभाग का एक प्रतिनिधि।
5. अर्थ तथा सांख्यिकीय सलाहकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, अर्थ तथा सांख्यिकीय निदेशालय।
6. कृषि विपणन सलाहकार, कृषि और सिंचाई मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निदेशक, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, कटक।
8. परियोजना निदेशक, अखिल भारतीय समन्वित चावल सुधार परियोजना, हैदराबाद।
9. नागरिक आपूर्ति तथा सहकारिता विभाग का एक प्रतिनिधि।

घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि — चावल पैदा करने वाले नीचे लिखे प्रमुख राज्यों से उत्पादकों के चौदह प्रतिनिधि जिसे संबधित राज्य सरकारें नामजद करेंगी :—

1. आंध्र प्रदेश	एक प्रतिनिधि
2. बिहार	,,
3. हरियाणा	,,
4. जम्मू और काश्मीर	,,
5. कर्नाटक	,,
6. केरल	,,
7. मध्य प्रदेश	,,
8. आसाम	,,
9. महाराष्ट्र	,,
10. उड़ीसा	,,
11. पंजाब	,,
12. उत्तर प्रदेश	,,
13. तमिल नाडु	,,
14. पश्चिमी बंगाल	,,

ड. कर्मचारियों के प्रतिनिधि
फार्मों में काम करने वाले कर्मचारी
फैक्ट्रियों में कार्य करने वाले कर्मचारी

च. राइस मिलर्स एसोसियेशन का एक प्रतिनिधि।

छ. ऐसे अधिक से अधिक चार और व्यक्ति जिन्हें भारत सरकार इस फसल के विकास में उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए समय-समय पर नामजद करें।

ज. पर्यवेक्षक :—

(जोकि परिषद के सदस्य नहीं होंगे किन्तु उन्हें परिषद के विचार-विमर्श में सहयोग देने के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाएगा)।

1. कृषि मूल्य आयोग का एक प्रतिनिधि।
2. वित्तीय सलाहकार, कृषि विभाग।
3. अध्यक्ष, राष्ट्रीय बीज निगम अथवा उनका नामजद व्यक्ति।

2. परिषद एक सलाहकार निकाय होगा नीचे लिखे कार्य करेगा :—

(1) केंद्रीय और राज्य क्षेत्रों मे चावल के विकास कार्यक्रमों पर विचार करना समय-समय पर उनकी प्रगति की समीक्षा करना तथा चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए उपाय सुझाना ;

(2) चावल के उत्पादन तथा विपणन और चावल के उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से संबंधित समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों के संबंध में सरकार को सलाह देना ;

(3) घरेलू तथा निर्यात बाजारों में चावल की मांग पर विचार करना तथा तदनुसार चावल के उत्पादन कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन करने के बारे में सरकार को सलाह देना ;

(4) चावल के उत्पादन के संबंध में लघु और सीमांत किसानों की विशेष आवश्यकताओं पर विचार करना तथा उन्हें पूरा करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाना ;

(5) अनुसंधान और चावल के विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय की सुविधाएं प्रदान कराना तथा चावल की क्वालिटी और उसकी उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकताओं के संबंध में सलाह देना ; और

(6) समय-समय पर आवश्यक समझे जाने वाले अन्य मामलों पर सरकार को सलाह देना।

3. परिषद को विशिष्ट मुद्दों पर कार्यवाही करने के लिए स्थाई समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति नियुक्त करने और आवश्यकतानुसार विशिष्ट प्रयोजनों के लिए कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सयोजित करने का अधिकार होगा।

4. इस परिषद की उन क्षेत्रों मे जहां चावल पैदा होता है, अनुसंधान व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण केंद्रों में समय-समय पर बैठक हुआ करेगी और परिषद भारत सरकार को अपनी सिफारिशें पेश करेगी।

5. परिषद तब तक कार्य करती रहेगी जब तक कि उसे भारत सरकार के संकल्प द्वारा समाप्त न कर दिया जाए। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का सेवाकाल परिषद में उनके नामजद होने की तारीख से तीन वर्ष होगा। यह अवधि भारत सरकार के विशिष्ट आदेश से घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।

6. संसद सदस्यों में से नामजद होने वाले परिषद के ऐसे सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर स्वतः समाप्त हो जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री के कार्यालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाएं।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

जी० वी० के० राव, सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

NEW DELHI, the26th December 1978

No. F. 23011/2/78—Admn. I.—The Government of India have decided to extend upto 15th February, 1979 the term of the Committee on Controls & Subsidies constituted *vide* Ministry of Finance, Department of Economic Affairs Resolution No. F. 23011/2/78—Admn.I dated 15th February, 1978.

N. NATARAJAN

MINISTRY OF STEEL AND MINES
RULES

New Delhi, the 20th January 1979

No. A-12025/7/78-M2.—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1979 for the purpose of filling vacancies in the following posts are, with the concurrence of the Ministry of Agriculture and Irrigation, published for general information :—

Category I (Posts in the Geological Survey of India, Ministry of Steel and Mines)

(i) Geologist (Junior), Group A and

(ii) Assistant Geologist, Group B

Category II (Posts in the Central Ground Water Board. Ministry of Agriculture and Irrigation)

(i) Junior Hydrogeologist, Group A

(ii) Assistant Hydrogeologist, Group B

1. A candidate may compete in respect of any one or both the categories of posts mentioned above He should clearly indicate in his application the posts for which he wishes to be considered in the order of preference.

No request for alteration in the preferences indicated by a candidate in respect of posts covered by the category/categories for which he is competing would be considered unless the request for such alteration is received in the office of the Union Public Service Commission within 30 days of the date of declaration of the result of the written examination.

2. Appointments on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance. The candidates will be eligible for permanent appointment in their turn as and when permanent vacancies become available.

3. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order; 1950; the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950; the Constitute (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951; the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951; as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960; the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 the Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976; the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

4. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission

5. A candidate must be either.—
(a) a citizen of India, or
(b) a subject of Nepal, or

(c) a subject of Bhutan, or

(d) A Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania, or from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India,

Provided that a candidate belonging to categories (b) (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government of India.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January, 1979, i.e. he must have been born not earlier than 2nd January 1949, and not later than 1st January 1958.

(b) The upper age limit will be relaxable by 7 years in the case of Government servants if they are employed in a Department mentioned in column I below and apply for the corresponding post(s) mentioned in column II.

Column I	Column II
Geological Survey of India .	Geologist (Junior), Group A Assistant Geologist, Group B.
Central Ground Water Board .	Junior Hydrogeologist, Group A. Assistant Hydrogeologist, Group B.

(c) the upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of fives year if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a cheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate or a prospective repatriate of India origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November; 1964 or is to migrate to India under the Indo Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964

(vi) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Ugenda and the United Republic of Tanzania or is a repatriate of Indian origin from Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia;

(vii) up to a maximum of three years if candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(viii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(x) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xiii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder) as also a candidate holding emergency certificate issued to him by the Indian Embassy in Vietnam and who arrived in India from Vietnam not earlier than July 1975.

(xiv) A candidate who exceeds the prescribed upper age limit on the crucial date viz. 1st January, 1979 and who was detained under the Maintenance of Internal Security Act or was arrested or imprisoned under the Defence and Internal Security of India Act, 1971 or Rules thereunder during the period of Internal Emergency between 25-6-1975 and 21-3-1977 on account of alleged political activities or association with erstwhile banned organisations and thus prevented from appearing at the examination while he was still within the age-limits prescribed for admission to this examination, will be eligible to appear at the examination subject to the condition that he should not have sat for i.e. (he should have foregone) the examination at least once during the period between June 1975 and March 1977 for which he was eligible in all respects.

NOTE : Under this concesssion, which will not be admissible for admission to any examination held after 31-12-1979, not more than one chance will be allowed.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department/office, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office will be eilgible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application duly recommended, has been, forwarded by his parent Department.

7. A candidate must have—

(a) Masters' degree in Geology or Applied Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear of this examination, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than 29th September, 1979.

NOTE II.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

8. Candidates must pay the fee prescribed in para 6 of the Commission's Notice.

9. All candidates in Government service whether in a permanent or in temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily-rated employees, will be required to submit a "No Objection Certificate" from the Head of their Office/Department in accordance with the instructions contained in para 2 of Annexure to the Commission's Notice.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated document or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination, or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

13. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for an interview for a personality test.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes may be summoned for an interview for a personality test by the Commission by applying relaxed standards if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be summoned for interview for a personality test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

14. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

15. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the results of the examination to the preference expressed by a candidate for the various posts at the time of his application.

17. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his character and antecedents, is suitable in all respects for appointment to the post.

18. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the post. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy those requirements, will not be appointed. Only candidates who are likely to be considered for appointment will be physically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the Medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment to Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnel and the Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

19. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

20. Brief particulars relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

J. A. CHOWDHURY, Dy. Secy.

APPENDIX I

1. The examination shall be conducted according to the following Plan :—

PART I—Written examination in the subjects as set out in para 2 below.

PART II—Interview for Personality Test of such candidates as may be called by the Commission, carrying a maximum of 200 marks (see para 7 below).

2. The following will be the subjects for the written examination :—

Subjects	Duration	Maximum Marks.
(1) General English . . .	1½ hrs.	100
(2) Geology Paper I comprising of General Geology, Geomorphology, Structural Geology, Stratigraphy and Palaeontology.	3 hrs.	200
(3) Geology Paper II comprising of Crystallography, Mineralogy, Petrology and Geo-chemistry.	3 hrs.	200
(4) Geology Paper III comprising of Indian Mineral Deposits, Mineral Exploration, Mineral Economics and Economic Geology.	2 hrs.	150
(5) Hydrogeology .	2 hrs.	150

NOTE—Candidates competing for posts under both category I and category II will be required to offer all the five subjects mentioned above. Candidates competing for posts under category I only will be required to offer subjects at (1) to (4) above and candidates competing for posts under category II only will be required to offer subjects at (1) to (3) and (5) above.

3. The examination in all the subjects will be completely of objective (multiple choice answer) type. For details including Sample Questions, please see "Candidates, Information Manual" at Appendix IV.

4. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the Schedule.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. Special attention will be paid in the Personality Test to assessing the candidate's capacity for leadership, initiative and intellectual curiosity, tact and other social qualities, mental and physical energy, powers of practical application, integrity of character and aptitude for adapting themselves to the field life.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

SCHEDULE

STANDARD AND SYLLABUS

The standard of the paper in General English will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidates grasp of the fundamentals in each subject.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) *GENERAL ENGLISH*

Questions to test the understanding of and the power to write English.

(2) GEOLOGY PAPER I

A. *General Geology*.—Origin of the Earth. Continents and Oceans—their distribution, evolution and origin. Continental drift, ocean spreading and concept of plate-tectonics. Palaeoclimates and their significance. Isostasy. Palaeomagnetism Radioactivity and its application to Geology. Geochronology and age of the Earth. Seismology and interior of the Earth. Geosynclines. Volcanism. Island arcs, deep-sea trenches and midoceanic ridges. Coral reefs. Orogeny and epeirogeny. Orogenic cycles.

B. *Geomorphology*.—Geomorphic processes, features and their parameters. Geomorphic cycles and their interpretations. Topography and its relation to structures. Soils.

C. *Structural Geology*.—Physical properties of rocks. Deformation. Faulting and folding—their mechanics. Primary structures. Lineation, foliation and joints. Plutons, diapirs and salt domes. Recognition of top and bottom of beds. Un-conformities. Diastrophism. Petrofabric analysis.

D. *Stratigraphy*.—Principles of stratigraphy and nomenclature. Outlines of world stratigraphy and palaeogeography Type sections of the various geological systems. Gondwana System and Gondwanaland.

Stratigraphy and Palaeogeography of the Indian sub-continent (India, Pakistan and Bangladesh). Correlation of the major Indian formations. Age problems in Indian stratigraphy.

E. *Palaeontology*.—(a) Fossils their nature, modes of preservation and uses. Morphology, classification and geological history of the invertebrates; corals, brachiopods, lamellibranchs, ammonites, gastropods, trilobites, echinoderms, graptolites and foraminifers.

(b) Principal groups of vertebrates with emphasis on Gondwana and Siwalik faunas. Evolutionary histories of man, elephant and horse.

(c) Fossil flora with emphasis on Gondwana flora and its significance and distribution.

(d) Micropalaeontology its importance with special reference to foraminiferids, their ecology and palaeoecology.

(3) GEOLOGY PAPER II

A. CRYSTALLOGRAPHY

Symmetry elements and classification of crystals. Projections—Spherical and Stereographic; 32 classes (Point groups) Twinning and crystal imperfections.

B. DESCRIPTIVE MINERALOGY

Physical, chemical, electrical, magnetic and thermal properties of minerals. Structure and classification of silicates.

Olivine group, Garnet group, Epidote group and Melilite group. Zircon, Sphene, Sillimanite, Andalusite, Kyanite, Topaz, Staurolite, Beryl, Cordierite, Tourmaline. Pyroxene group and Amphibole group. Wollastonite and Rhodonite. Mica group, Chlorite group and Clay minerals. Feldspar group, Silica minerals, Feldspathoid group. Zeolite group and Scapolite group. Oxides, Hydroxides, Carbonates, Phosphates, Halides, Sulphides and Sulphates.

C. OPTICAL MINERALOGY

General principles of optics. Optical accessories. Refringence, Birefringence, Extinction angle, Pleochroism. Optical ellipsoids, Optical axial angle. Optic orientation. Disperson. Optic anomalies.

D. PETROLOGY

(i) *Igneous*: Forms, structures, texture and classification Granite-Granodiorite-Diorite. Syenite-Napheline Syenite. Gabbro-Peridotite-Dunite. Dolerite, Lamprophyre, Pegmatite,

Aplite, Ijolite and Carbonatite. Rhyolite, Trachyte, Dacite, Andesite and Basalt.

Phase rule and equilibruim in silicate system. Two component and three-component systems. Order of crystallisation Reaction principle. Crystallisation of magmes. Diversity. Variation diagrams. Origin of granites, monomineralic and alkaline rocks, carbonatites, pegmatites and lamprophyres.

(*ii*) *Sedimentary* : Classification and composition. Origi of sediments. Textures and structures. Study of important groups of sedimentary rocks. Mechanical analysis of sediments. Methods of deposition. Palaeocurrents and basin analysis. Provenance of sediments. Depositional environments, Heavy minerals and their significance. Lithification and diagenesis.

(*iii*) *Metamorphic* : Agents, types, controls, structures, grades and facies of metamorphism. Metamorphic differentiation. Metasomatism and granitisation. Migmatites, granulites, charnockites, amphibolites, schists, gneisses and hornfels. Metamorphism in relation to magma and orogeny.

E. GEOCHEMISTRY

Cosmic abundances of elements, primary geochemical differentiation of the Earth; geochemical classification of the elements. Trace elements. Geochemistry of water. Geochemistry of sediments, geochemical cycle and principles of geochemical prospecting.

(4) GEOLOGY PAPER III

A. INDIAN MINERAL DEPOSITS

Indian deposits of the following metallic and non-metallic ores and minerals with reference to their distribution, mode of occurrence and origin :

(a) Copper, Lead, Zinc, Aluminium, Magnesium, Iron, Manganese, Chromium, Gold, Silver, Tungsten and Molybdenum.

(b) Mica, Vermiculite, Asbestos, Barytes, Graphite, Gypsum, Ochre, Precious and Semiprecious minerals, refractory minerals, abrasives, and minerals for ceramics, glass, fertiliser, cement, paint and pigment industries and building stones.

(c) Coal, petroleum, natural gas and atomic energy minerals.

B. MINERAL EXPLORATION

Methods of surface and sub-surface exploration, field equipment and field tests used for exploration; guides for locating ore deposits. Sampling, assaying and evaluation of ore deposits. Application of geophysical, geochemical and geobotanical surveys in mineral exploration.

C. MINERAL ECONOMICS

Significance of minerals in national economy. Use of various minerals in manufacturing industries. Demand, supply and substitutes. Production and price of major minerals in India. International aspects of mineral industries. Strategic, critical and essential minerals. Conservation and national mineral policy. India's status in mineral production.

D. ECONOMIC GEOLOGY

Mineral deposits—processes of formation, controls of localisation and classification. Study of important metallic and non-metallic minerals with reference to their mineralogy, mode of occurrence and distribution.

(5) HYDROLOGY

Hydrological cycle. Distribution of water in the earth's crust. Ground Water in hydrological cycle. Origin of ground water, meteoric, juvenile and magmatic waters, springs. Classification of rocks with respect of water bearing characteristics, Hydro-stratigraphic units. Geological structures favouring ground water occurrence, Ground water provinces. Ground water reservoirs—Aquifers, acquicludes, aquitards. Classification of aquifers.

Hydrological properties of rocks (Ground water reservoirs) porosity, void ratio, permeability, transmissivity, storativity, specific yield, specific retention, diffussivity. Methods of identification of ground water reservoir properties—Permeability and specific yield/storativity by discharging well methods and laboratory techniques. Forces causing ground water movement. Laws of ground water movement—Darcy's law. Ground water recharge—artificial and natural factors controlling recharge conjunctive and consumptive use of ground water.

Surface and sub-surface techniques of ground water exploration-geological and geophysical—water balance. Techniques of ground water extraction (Types of wells, methods of well construction in different types of rocks for best yield). Chemical characteristics of ground water in relation to various uses—domestic, industrial and irrigational. Water pollution.

APPENDIX-II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guidelines to The medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of India for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services Personnel and the Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971, and released as a consequence thereof, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.]

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight, and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar, and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its under edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres thus 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in Kilogram; fraction of half a Kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-eight will be tested in accordance with following rules. The result of each test will be recorded.

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormality. The candidate will be rejected if he/ suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or contiguous structures of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for the distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant Vision		Near Vision	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0·6	0·8

NOTE(1)—Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed -4·00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4·00 D.

NOTE (2)—Fundus Examination : herever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

NOTE (3)—Colour vision : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade epending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below:—

Grade	Higher Grade of colour perception	Lower Grade of colour perception.
1. Distance between the lamp and candidate	4·9 metres	4·9 metres
2. Size of aperture .	1·3 mm.	13 mm.
3. Time of Exposure	5 Sec.	5 Sec.

For the services concerned with safety of the Public, *e.g.* pilots, drivers, guards, etc., the higher grade of colour vision is essential but for others the lower grade of colour vision should be considered sufficient. The same standards of colour vision should be applicable in respect of all engineering personnel in whose case colour perception is considered essential irrespective of the fact whether their duties involve field work or not.

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edrige Green shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

NOTE (4).—*Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (5).—*Night Blindness.*—Night blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, *e.g.*, recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements should not always be relied upon, but they should be given due consideration.

NOTE (6). (a) *Ocular conditions other than visual acuity*—Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—Where the presence of binocular vision is essential squint, even if the visual acuity is of a prescribed standard should be considered as a disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The emloyment of one-eyed individuals is not recommended.

7. *Blood Pressure*

The board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal m aximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-Ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff, completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied slightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflat ed. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at still lower level. This silent Gap may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test and, will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard.

(1) Marked or total deafness in one ear other ear being normal	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is posible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequenices of 1000 to 4000.
(3) Perforation of typanic membrance of Central or marginal type	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrance present Temporarily unfit. Under improved Conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ear should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4(ii) below. (ii) Marginal or attic perforation. both ears unfit. (iii) Central perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear, Mastoid cavity —fit for both technical and non-technical jobs. (ii) Mastoid cavity of both sides, unfit for technical jobs. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibels in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear-operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.
(6) Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflamatory conditions of tonsils and/or Larynx Fit. (ii) Hoarseness of voice severe degree if present then Temporarily Unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours—Temporarily Unfit. (ii) Malignant Tumours—Unfit.
(9) Otosclarosis	If the hearing is within 30 decibels after operation or with the help of hearing aid Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) if not interfering with functions Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filed teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured.

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands, and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of actue or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE :—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing appointed to determine their fitness for the above posts. If, however. Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgment in the decision of the first Board it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board, will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains, a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner.

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection or bodily infirmity unfitting him or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of case is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.) and Assistant Geologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been affected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' period specified for re-examination should not ordinarily exceed six months at the maximum. On re-examination after the specified period these candidates, should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration.

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters)........ ...

2. State your age and birth place............

2.(a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race.

3.(a) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ?

(b) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. When were you last vaccinated ?

5. Have you suffered any form of nervousness due to over work or any other cause ?

6. Furnish the following particulars concerning your family.

Father's age, if living, and state of health	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health.	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age if living and state of health	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before?

8. If answer to the above is 'Yes' please state what Services/posts you were examined for.

9. Who was the examining authority ?

10. When and where was the Medical Board held?

11. Results of the Medical Board's examination if communicated to you or if known........

I declare all the above answers to be to the best of my belief, true and correct.

Candidates Signature

Signed in my presence.

Signature of Chairman of the Board.

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed of forfeiting all claims to superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development: Good........ Fair .... poor..........Nutrition: Thin .... Average........ Obese ....

Height (without shoes) .... Weight ....

Any recent change in weight ....

Temperature ....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration) ....

(2) (After full expiration) ....

2. Skin : any obvious disease ....

3. Eyes : ....

(1) Any disease ....

(2) Night blindness ....

(3) Defect in colour vision ....

(4) Field of Vision ....

(5) Fundus Examination ....

(6) Visual Acuity ....

(7) Ability for stereoscopic fusion ......

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses sph.cy.Axis. sph. cy. Axis.
Distant Vision			
RE			
LE			
Near Vision			
RE			
LE			
Hypermetropia (Manifest)			
RE			
LE			

4. Ears : Inspection ...... Hearing : Right Ear .... Left Ear ....

5. Glands .... Thyroid

6. Condition of teeth ....

7. Respiratory system : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?

If yes, explain fully ....

8. Circulatory System :

(a) Heart and organic lesions ....
Rate : Standing ....
After hopping 25 times ....
2 minutes after hopping ....

(b) Blood Pressure : Systolic .... Diastolic ....

9. Abdomen : Girth ....

Tenderness ....

Hernia ....

(a) Palpable Liver .... Spleen
Kidneys .... Tumours

(b) Haemorrhoids .... Fistula

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities ....

11. Loco-Motor System : Any abnormality ....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance ....

(b) Sp. Gr. ....

(c) Albumen ....

(d) Sugar ....

(e) Casts ....

(f) Cells ....

13. Report of X-Ray Examination of Chest ....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ....

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* regulation 9.

....

15. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit ?

....

....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE ?

....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit

(ii) Unfit on account of ....

(iii) Temporarily unfit on account of ....

....

President ....

Member ....

Place ....

Date : ....

APPENDIX IIII

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. *Geological Survey of India*

(1) Geologist (Junior) Group A—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years, which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India :—

(i) Geologist (Jr. Scale)—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Geologist (Sr. Scale)—Rs. 1100-50-1600.

(iii) Director—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Deputy Director General—Rs. 2250—125/2—2500—EB—125/2—2750.

(v) Director General—Rs. 3,000 (fixed).

(c) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations respectively, subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

(2) *Assistant Geologist Group B*—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(c) Recruitment to the Cadre of Geologist (Group A—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination, and partly through DPC by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geological Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations respectively subject to such modification as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Geologists are liable for service anywhere in India or outside India.

2. *Central Ground Water Board*

(1) *Junior Hydrogeologist Group A*—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Central Ground Water Board :—

(i) Junior Hydrogeologist—Rs. 700—40—900—EB—40—1100—50—1300.

(ii) Senior Hydrogeologist—Rs. 1100—50—1600.

(iii) Director—Rs. 1500—60—1800—100—2000.

(iv) Chief Hydrogeologist—Rs. 2250—250—2500.

(c) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All Officers of Central Ground Water Board are liable for service in any part of India, or outside India.

(2) *Assistant Hydrogeologist, Group B*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay :— Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200.

(c) Recruitment to the cadre of Junior Hydrogeologist (Group A) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination and partly through D.P.C. by promotions from the next lower grade of Assistant Hydrogeologist of the Central Ground Water Board in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by the Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Services Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Hydrogeologists are liable for Service anywhere in India or outside India.

APPENDIX IV

CANDIDATES INFORMATION MANUAL

A. *OBJECTIVE TEST*

Your examination will be what is called an 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination (test) you do not write detailed answers. For each question (hereinafter referred to as item) several possible answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one response to each item.

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

B. *NATURE OF THE TEST*

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3, . . etc. Under each item will be given suggested responses marked a, b, c,..........etc. Your task will be to choose the correcvt or if you think there are more than one correct, then the best response. (see "sample items" at the end). In any case, in each item have to select only one response; if you select more than one, your answer will be considered wrong.

C. *METHOD OF ANSWERING*

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in the examination hall. You have to mark your answer on the answer sheet. Answer marked on the Test Booklets or in any paper other than the answer sheet will not be examined.

In the answer sheet, number of the items from 1 to 200 have been printed in four 'Parts'. Against each item, responses, a, b, c, d, e, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given response is correct or the best, you have to mark the rectangle containing the letter of the selected response by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the rectangles on the answer sheet.

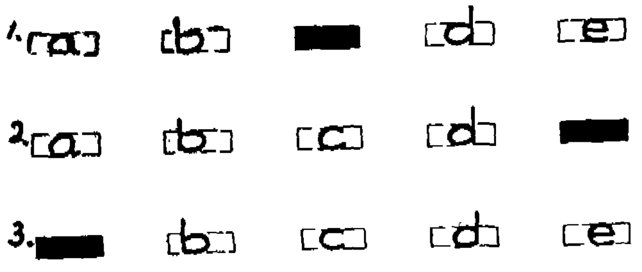

Your answer sheet (specimen enclosed) will be scored by an optical scoring machine which is sensitive to improper marking, use of non-HB pencils, and mutilated answer sheets. It is, therefore important that—

1. You bring and use only good quality *HB* pencil(s) for answering the items. The machine may not read the marks with other pencils or pens correctly.

2. If you have made a wrong mark, erase it completely and re-mark the correct response. For this purpose, you must bring along with you an eraser also;

3. Do not handle your answer sheet in such a manner as to mutilate or fold or wrinkle or spindle it.

D. *SOME IMPORTANT REGULATIONS*

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for starting of the examination and get seated immediately.
2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.
3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have passed after the commencement of the examination.
4. After finishing the examination, submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigilator/Supervisor. YOU ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.
5. Write clearly in ink the name of the examination/test, your Roll No., Centre, subject, date and serial number of the Test Booklet at the appropriate space provided in the answer sheet. You are not allowed to write your name anywhere in the answer sheet.
6. You are required to read carefully all instructions given in the Test Booklet. Since the evaluation is done mechanically, you may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the answer sheet is ambiguous then you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.
7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring a HB pencil, an eraser, a pencil sharpener, and a pen containing blue or black ink. You are not allowed to bring any scrap (rough) paper, or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your answer sheet at the end of the test.

E. *SPECIAL INSTRUCTIONS*

After you have taken your seat in the hall, the invigilator will give you the answer sheet. Fill up the required information on the answer sheet with your *pen*. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet. Each Test Booklet will be sealed in the margin so that no one opens it before the test starts. As soon as you have got your Test Booklet, ensure that it contains the booklet number and it is sealed, otherwise get it changed. After you have done this, you should write the serial number of your Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet. You are *not* allowed to break the seal of the Test Booklet until you are asked to do so by the supervisor.

F. *SOME USEFUL HINTS*

Although the test stresses accuracy more than speed, it is important for you to use your time as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can, without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All questions carry equal marks. Answer all the questions. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you.

The questions are designed to measure your knowledge, understanding and analytical ability, not just memory. It will help you if you review the relevant topics, to be sure that you UNDERSTAND the subject thoroughly.

G. *CONCLUSION OF TEST*

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. Candidate who do not stop writing will be penalised. After you have finished answering, remain in your seat and wait till the invigilator collects the Test Booklet and answer sheet from you and permits you to leave the Hall. You are NOT allowed to take the Test Booklet and the answer sheet out of the examination Hall. Those who violate this direction shall be severely penalised.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

1. Which one of the following causes is NOT responsible for the down fall of the Mauryan dynasty?

(a) the successors of Ashoka were all weak.

(b) there was partition of the Empire after Asoka.

(c) the northern frontier was not guarded effectively.

(d) there was economic bankruptcy during post-Asokan era.

(Answer—d)

2. In a parliamentary form of Government

(a) the Legislature is responsible to the Judiciary.

(b) the Legislature is responsible to the Executive.

(c) the Executive is responsible to the Legislature.

(d) the Judiciary is responsible to the Legislature.

(e) the Executive is responsible to the Judiciary.

(Answer—c)

3. The main purpose of extra-curricular activities for pupils in a school is to

(a) facilitate development.

(b) prevent disciplinary problems.

(c) provide relief from the usual class room work.

(d) allow choice in the educational programme.

(Answer—a)

4. The nearest planet to the Sun is

(a) Venus

(b) Mars

(c) Jupiter

(d) Mercury

(Answer—d)

5. Which of the following statements explains the relationship between forests and floods?

(a) the more the vegetation, the more is the soil erosion that causes floods.

(b) the less the vegetation, the less is the silting of rivers that causes floods.

(c) the more the vegetation, the less is the silting of rivers that prevents floods.

(d) the less the vegetation, the less quickly does the snow melt that prevents floods.

(Answer—c)

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

New Delhi, the 28th December 1978

RESOLUTION

No. 9/7/78-EP(Agri. vi).—The Government of India, by Resolution No. 9/7/78-EP(Agri. vi) dated the 15th July, 1978, as amended by Resolutions of even number dated 16th August and 15th Nov., 1978, had set up an Expert Group on Tobacco. The following amendment may be made in the Resolution dated 15th July, 1978 :—

"Shri S. P. Mukerji, Additional Secretary, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture) shall be the Chairman, of the Expert Group in place of Shri P. K. Kaul, Additional Secretary, Department of Commerce, Ministry of Commerce, Civil Supplies & Co-operation."

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Ministries of Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariats.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

V. C. PANDE, Jt. Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 27th December 1978

RESOLUTION

No. V. 17020/25/77-ME(PG).—In pursuance of Resolution No. V. 17020/25/77-ME(PG), dated the 13th May, 1977, the Government of India in the Ministry of Health and Family Welfare appointed a One-man Commission consisting of Dr. K. Nagappa Alva to inquire into and report on various matters as set out in the terms of reference specified in the said Resolution and the Commission was to submit its report to the Central Government not later than the 30th September, 1977.

In pursuance of Resolution No. V. 17020/25/77-ME(PG), dated the 30th September, 19th December, 1977, 18th January, 9th February, 8th May, 14th July and 21st September, 1978, the term of the Commission was extended till 31st December, 1978. The Government of India have decided that the Commission shall submit its report to the Central Government not later than the 30th April, 1979.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

C. R. KRISHNAMURTHI, Jt. Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

DEPARTMENT OF AGRICULTURE

New Delhi, the 28th December 1978

RESOLUTION

No. 50(1)/78-C.A.I.—The Government of India have decided that the Indian Rice Development Council which was last constituted vide Government of India's Resolution No. 24-1/75 C.A. II, dated the 29th November, 1975 shall be reconstituted with effect from the 1st January, 1979 as follows :—

I. CHAIRMAN — A non-official to be nominated by the Government of India.

II. VICE-CHAIRMAN — Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), New Delhi.

III. MEMBERS

A. Members of Parliament — Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

B. Representatives of State Governments — One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments :—

(i) Andhra Pradesh.
(ii) Assam.
(iii) Bihar.
(iv) Haryana.
(v) Jammu & Kashmir.
(vi) Karnataka.
(vii) Kerala.
(viii) Madhya Pradesh.
(ix) Maharashtra.
(x) Orissa.
(xi) Punjab.
(xii) Uttar Pradesh.
(xiii) Tamil Nadu.
(xiv) West Bengal.

C. Representatives of Central Government

(i) Extension Commissioner, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Agriculture), New Delhi or his nominee.
(ii) Director General, Indian Council of Agricultural Reaserch, New Delhi or his nominee.
(iii) One representative of Planning Commission.
(iv) One representative of the Department of Food.
(v) Economic and Statistical Adviser, Dte. of Economic and Statistics, New Delhi.
(vi) Agricultural Marketing Adviser, Ministry of Agriculture & Irrigation (Department of Rural Development).
(vii) Director, Central Rice Research Institute, Cuttack.
(viii) Project Director, All India Coordinated Rice Improvement Project, Hyderabad.
(ix) One representative of the Department of Civil Supplies and Co-operation.

D. Representatives of Growers — Fourteen representatives of the Growers to be nominated by the respective State Governments from the following rice growing States :—

(i)	Andhra Pradesh	One representative.
(ii)	Assam	Do.
(iii)	Bihar	Do.
(iv)	Haryana	Do.
(v)	Jammu & Kashmir	Do.
(vi)	Karnataka	Do.
(vii)	Kerala	Do.
(viii)	Madhya Pradesh	Do.
(ix)	Maharashtra	Do.
(x)	Orissa	Do.
(xi)	Punjab	Do.
(xii)	Uttar Pradesh	Do.
(xiii)	Tamil Nadu	Do.
(xiv)	West Bengal	Do.

E. *Representatives of Workers*

Workers engaged in Farms	One
Workers engaged in Factories	One

F. One representative from Rice Millers' Association.

G. Such additional persons, not exceeding four, as may from time to time be nominated by the Government of India keeping in view of their contribution to the development of the crop.

IV. *OBSERVERS*

(Who would not be members of the Council but would be invited to assist the Council in its deliberations.)

(i) One representative on Agriculture Price Commission.

(ii) Financial Adviser, Department of Agriculture.

(iii) Chairman, National Seeds Corporation or his nominee.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) Consider development programmes in the Central and State sectors in respect of Rice, review progress thereof from time to time and recommend measures for increasing the production of rice;

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of rice and remunerative price to rice growers and advice Government in these matters;

(iii) To consider demands for rice in the domestic as well as export markets and advice Government about necessary adjustments in rice production programmes accordingly;

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmers in respect of rice production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between research and development programmes relating to rice and to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of rice;

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up standing Committees, Technical Committees and ad-hoc committees to look into issues of special importance and to co-opt members where necessary, such as representatives of Agricultural Universities and other special interests for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in important centres of Research, trade and industry in areas in which rice is grown and will make its recommendations to the Government of India.

5. The council will continue to function until it is abolished by a Resolution of the Government of India. The terms of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific orders of the Government of India.

6. Those Members of the Council who are nominated from among the members of Parliament will cease to be members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administration of Union Territories, Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha Secretariat and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

G. V. K. RAO,
Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979